भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894

No. 179] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 30th March 1972

S.O. No. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 49 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the President hereby makes the following amendments in the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962 (3 of 1962), the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Estate Duty (Distribution) Act, 1962 (9 of 1962) and the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969, namely:—

1. In the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, in section 3,—

(i) the following provision shall be inserted immediately after the Table in sub-section (1), namely:—

"Provided that the share of the distributable Union duties of excise payable to the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 2.27 : 0.24";

(ii) for sub-section (2) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (GSR. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) There shall also be paid out of the Consolidated Fund of India to each of the States specified in column 1 of the Table below, an

amount equal to such percentage of the distributable Union duties of excise during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of the subsequent financial years, as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State	Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
1	2	3	4
Himachal Pradesh . .	0·17	0·93	0·93
Manipur . .	..	0·03	0·16
Tripura . .	..	0·05	0·24"

2. In the Second Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, in paragraph 2,—

(i) for clause (bb) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (GSR. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following clause shall be substituted, namely:—

"(bb) to each of the States specified in column 1 of the Table below a sum equal to such percentage of the total net proceeds during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of the subsequent financial years, as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State	Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
1	2	3	4
Himachal Pradesh .	0·12	0·66	0·66
Manipur . .	..	0·04	0·18
Tripura . .	..	0·05	0·26"

(ii) The following proviso shall be inserted at the end of Table in clause (c), namely:—

"Provided that the sum specified in the second column of the Table above, payable to the State of Assam, as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 79.57 : 5.51, and the sum payable to the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, in pursuance of the percentage share specified against that State in the third column of the Table, shall be construed as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 2.31 : 0.16".

3. In the Estate Duty (Distribution) Act, 1962, in section 3,—

(i) for the existing proviso below sub-section (1) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (G.S.R. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that out of three per cent of the total net proceeds attributable to Union territories, there shall be paid to each of the States specified in column 1 of the Table below such percentage of the total net proceeds during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of

the subsequent financial years as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State	Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
1	2	3	4
Himachal Pradesh .	0·09	0·50	0·50
Manipur . .	..	0·03	0·14
Tripura . .	..	0·04	0·20;

(ii) the following proviso shall be inserted at the end of clause (b) of sub-section (2), namely:—

"Provided that the share payable under clause (b) to the State of Assam, as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Mehalaya in the proportion of 2.58 : 0.18".

4. In the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969,—

(i) In paragraph 3,—

(a) the following proviso shall be inserted immediately below the Table in sub-paragraph (2), namely:—

"Provided that the share of taxes on income payable to the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Mehalaya in the portion of 2.49 : 0.18";

(b) for sub-paragraph (3) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (GSR. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(3) There shall also be paid to each of the States specified in column 1 of the table below an amount equal to such percentage of net proceeds of taxes on income, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to Union territories or to taxes payable in respect of Union emoluments, during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of the subsequent financial years, as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State	Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
1	2	3	4
Himachal Pradesh .	0·09	0·47	0·47
Manipur . .	..	0·02	0·12
Tripura .	..	0·04	0·18";

(ii) the following further proviso shall be inserted after the existing proviso to paragraph 4, namely:—

"Provided further that the share of net proceeds of advance tax on income payable to the State of Assam, as it existed immediately before the 21st day of January, 1972 shall be construed as from that date, as

payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 2.28:0.15 .

(iii) in the Table in sub-paragraph (1) of paragraph 6,—

(a) for the existing figures under the columns for 1971-72, 1972-73 and 1973-74 against the State of Assam, the figures "19.84", "14.44" and "14.27" respectively shall be substituted;

(b) after the entire relating to the State of Kerala, the following shall be inserted, namely:—

"Manipur . .	2·07	10·65	10·65
Meghalaya . .	..	2·75	2·72"

(c) after the entries relating to the State of Tamil Nadu, the following shall be inserted namely :—

"Tripura . .	2·54	13.05	13·05"

V. V. GIRI,
PRESIDENT

No. F. 12 (5)-B/71

B. MAITHREVAN, Jy. Secy.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

का० आ० 246 (अ) ——उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81वां अधिनियम) की धारा 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 का तीसरा अधिनियम), अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम, 1957 (1957 का 58वां अधिनियम), सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 का नौवां अधिनियम) और संविधान (राजस्व-वितरण) आदेश, 1969 में निम्नलिखित संशोधन किये है, अर्थात :——

1. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में :——

(i) उप-धारा (1) में, सारणी के तुरन्त बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :——

"बशर्ते कि असम राज्य को जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से ठीक पूर्व था, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के विभाज्य देय हिस्से को उसी तारीख से असम राज्य तथा मेघालय राज्य को 2.27 : 0.24 के अनुपात में देय माना जायेगा ;

(ii) आदेश संख्या एफ 12(3)-बी/71 (सा० का० नि० 397-क) दिनांक 21 मार्च, 1971 के द्वारा जोड़ी गयी उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायगी, अर्थात :——

"(2) वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 और इसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाज्य केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के उस प्रतिशत के बराबर की रकम, जो नीचे की सारणी में स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के सामने क्रमशः

स्तम्भ 2, 3 और 4 में दी गई है, उन राज्यों को भारत की समेकित निधि से दी जायगी ।

सारणी

राज्य	1970–71 में देय प्रतिशत	1971–72 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षों में देय प्रतिशत
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश . .	0.17	0.93	0.93
मणिपुर	..	0.03	0.16
त्रिपुरा	..	0.05	0.24

2. अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ 2 में,

(i) आदेश संख्या एफ 12 (3)–बी०/71 (सा० का० नि० 397–क) दिनांक 21 मार्च, 1971 द्वारा जोड़े गये खण्ड (ख ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात :––

"(ख ख) नीचे की सारणी में, स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्रत्येक राज्य को, वित्तीय वर्ष 1970–71, 1971–72 और उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल शुद्ध राशि में से, उसके सामने के स्तम्भ क्रमशः 2, 3 और 4 में निर्धारित प्रतिशत के बराबर की रकम दी जायेगी :––

सारणी

राज्य	1970–71 में देय प्रतिशत	1971–72 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षों में देय प्रतिशत
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश . . .	0.12	0.66	0.66
मणिपुर	..	0.01	0.18
त्रिपुरा	..	0.05	0.26

(ii) खण्ड (ग) में, सारणी के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात् :––

"बशर्ते, असम राज्य को, जैसा कि 21 जनवरी, 1972 से तुरन्त पूर्व था, उपर्युक्त सारणी के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट जो राशि देय थी, वह उस तारीख से असम राज्य और मेघालय राज्य को 79.57: 5.51 के अनुपात में देय मानी जायेगी और उस सारणी के तीसरे स्तम्भ के सामने उस राज्य के सामने निर्दिष्ट प्रतिशत हिस्से के अनुसार असम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972

के तुरन्त पूर्व था, जो राशि देय थी वह उसी तारीख से असम राज्य और मेघालय राज्य को 2.31 : 0.16 के अनुपात में देय होगी ।"

3. सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में, (i) आदेश संख्या एफ 12 (3)-बी/71 (सा० का० नि० 397-क) दिनांक 21 मार्च, 1971 द्वारा उपधारा (1) के नीचे जोड़े गये वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

बशर्ते कि, कुल शुद्ध प्राप्तियों में से संघीय राज्य क्षेत्रों को देय मानी जाने वाली 3 प्रतिशत राशि मे से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों को, वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में प्राप्त कुल शुद्ध रकम के उस प्रतिशत के बराबर रकम दी जायेगी, जो इन राज्यों के सामने के स्तम्भ क्रमशः 2, 3 और 4 में निर्धारित की गई है :—

सारणी

राज्य	1970-71 में देय प्रतिशत	1971-72 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षों में देय प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश	0.09	0.50	0.50
मणिपुर	..	0.03	0.14
त्रिपुरा	..	0.04	0.20

(ii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा अर्थात् .—

"बशर्ते कि खण्ड (ख) के अधीन असम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से तुरन्त पूर्व था, देय हिस्सा उसी तारीख से असम राज्य और मेघालय राज्य के बीच 2.58 : 0.18 के अनुपात में देय माना जायेगा ।"

4. संविधान (राजस्व का वितरण) आदेश, 1969 में पैराग्राफ 3 में (i) में :—

(क) उप-पैराग्राफ (2) की सारणी के तुरन्त बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा अर्थात् :—

"बशर्ते कि असम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से तुरन्त पूर्व था, आय सम्बन्धी करो का देय हिस्सा उसी तारीख से असम राज्य और मेघालय राज्य के बीच 2.49 : 0.18 के अनुपात में देय माना जायेगा ।"

(ख) 21 मार्च, 1971 के आदेश संख्या एफ 12 (3)-बी/71 (सा० का० नि० 397-क) के द्वारा निर्दिष्ट उप-पैराग्राफ (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ रखा जायगा अर्थात् :—

"(3) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को आय सम्बन्धी करों की शुद्ध प्राप्तियों के उस अनुपात के बराबर की रकम भी, 1970-71, 1971-72 और बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, संघीय राज्य क्षेत्रों के लिये मानी गयी प्राप्तियों की द्योतक प्राप्तियों या संघ की परिलब्धियों के सम्बन्ध

में देय कर को छोड़ कर, क्रमशः स्तम्भ 2, 3 और 4 में इन राज्यों के नाम के सामने दिखाये गये अनुपातों के अनुसार दी जायेगी :—

सारणी

राज्य	1970–71 में देय प्रतिशत	1971–72 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षों में देय प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश . . .	0.09	0.47	0.47
मणिपुर	..	0.02	0.12
त्रिपुरा	..	0.04	0.18"

(ii) पैराग्राफ 4 के मौजूदा परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

"बशर्ते कि असम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से तुरन्त पूर्व था, देय आय कर की शुद्ध अग्रिम प्राप्तियों का हिस्सा, उसी तारीख से असम राज्य और मेघालय राज्य के बीच 2.28 : 0.16 के अनुपात में देय माना जायेगा ।"

(iii) पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (1) की सारणी में

(क) असम राज्य के सामने 1971-72, 1972–73 और 1973–74 के स्तम्भों के अन्तर्गत मौजूदा आंकड़ों के स्थान पर क्रमशः "19.84," "14.44" और "14.27" लिखा जायगा ;

(ख) केरल राज्य से सम्बद्ध प्रविष्टियों के बाद ये प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

मणिपुर	2.07	10.65	10.65
मेघालय	..	2.75	2.72"

(ग) तमिलनाडु राज्य से सम्बद्ध प्रविष्टियों के बाद यह प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"त्रिपुरा	2.54	13.05	13.05"

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[संख्या एफ० 12(5)–वी०/71]

बी० मैत्रेयन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972